

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 60/2014/अजमेर.

(सम्बन्धित अपील संख्या-1949/2011/अजमेर)

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
प्रतिकरापवंचन, अलवर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स अशोक कुमार मोहनदास,
नया बाजार, अजमेर

.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,
उप-राजकीय अभिभाषक
श्री ओ.पी.माहेश्वरी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 14.02.2018

निर्णय

1. प्रार्थी द्वारा यह संशोधन प्रार्थना-पत्र, राजस्थान कर बोर्ड की अपील संख्या 1949/2011/अजमेर में एकलपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 23.01.2014 में संशोधन हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 33 के तहत प्रस्तुत किया गया है।

2. अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक द्वारा संशोधन हेतु पेश प्रार्थना पत्र एवं मौखिक बहस में यह कथन किया गया है कि कर बोर्ड के उक्त आदेश दिनांक 23.01.2014 में यह त्रुटि है कि उक्त प्रकरण में अपील की सुनवाई दिनांक 03.09.2013 को की गई थी परन्तु कर बोर्ड द्वारा उसका निर्णय 5 माह पश्चात दिनांक 12.02.2014 को दिया गया है, जो अनुचित है एवं किये गये निर्णय में यह त्रुटि है कि उनके प्रकरण में सुनवाई के समय जो न्यायिक निर्णय प्रस्तुत किये गये थे उन पर विवेचन किये बिना एवं अन्य किसी विपरीत न्यायिक निर्णय बताये बिना जो आदेश पारित किया गया है वह त्रुटिपूर्ण है। ऐसी स्थिति में किया गया आदेश *mistake apparent on the record* की श्रेणी में आता है। अतः इस आदेश को संशोधित कर राजस्व की जो अपील स्वीकार की गई थी, उसमें संशोधन कर प्रार्थी के पक्ष में निर्णय किया जावे।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि कर बोर्ड द्वारा जो निर्णय दिनांक 23.01.2014 को पारित किया गया था उसमें किसी भी तरह की त्रुटि नहीं है क्योंकि माननीय एकलपीठ द्वारा अपने आदेश में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का दृष्टांत देते हुये एवं न्यायिक निर्णयों में स्थापित विधि अनुसार पूर्ण विचार के साथ विवेचित आदेश पारित किया है, जिसमें रेकार्ड की कोई भूल नहीं है बल्कि अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र के जरिये इस आदेश को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है जो अधिनियम की धारा 33 में संशोधन योग्य नहीं है।




लगातार.....2

4. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में कर बोर्ड की एकलपीठ द्वारा दिनांक 23.01.2014 को जो निर्णय पारित किया गया है उसमें प्रकरण के प्रत्येक तथ्य को अंकित करते हुये एवं राजस्व तथा व्यवहारी की ओर से की गई बहस को अंकित करते हुये एवं प्रस्तुत न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए निर्णय पारित किया गया है उसमें तथ्यों, एवं विधि तथा न्यायिक निर्णयों के विवेचन के साथ सुविचारित आदेश पारित किया गया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। ऐसी स्थिति में व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक का कथन तथ्यों के विपरीत है एवं उनके विरुद्ध पारित निर्णय को खारिज कर संशोधन प्रार्थना पत्र के जरिए आदेश को रिव्यू कराने हेतु प्रस्तुत किया गया है जबकि अधिनियम की धारा 33 में किसी भी आदेश में केवल रेकार्ड की परिलक्षित भूल को ही सुधारा जा सकता है एवं आदेश का रिव्यू नहीं किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 33 निम्न प्रकार है :-

33. Rectification of a mistake.- (1) With a view to rectifying any mistake apparent from the record, any officer appointed or any authority constituted under this Act may rectify suo motu or otherwise any order passed by him. Explanation.- A mistake apparent from the record shall include order which was valid when it was made and subsequently rendered invalid by an amendment the law having retrospective operation or by judgment of the Supreme Court, the Raj. High Court or the Raj. Tax Board.

संशोधन प्रावधान के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा (2011) 29 टैक्स अपडेट 253 सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम मैसर्स मक्कड़ प्लास्टिक एजेन्सीज में यह स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि आर.एस.टी अधिनियम, 1994 में संशोधन से संबंधित धारा 37 जो वैट अधिनियम की धारा 33 के समान है के तहत किसी आदेश को रिव्यू नहीं किया जा सकता एवं कोई नया निर्णय पारित नहीं किया जा सकता बल्कि केवल रिकॉर्ड की किसी त्रुटि (Error) का ही सुधार किया जा सकता है, जिसका सुसंगत अंश निम्न प्रकार है :-

"18. Section 37 of the Act of 1994 provides for a power to rectify any mistake apparent on the record. Such power is vested on the authority to rectify an obvious mistake which is apparent on the face of the records and for which a re appreciation of the entire records is neither possible nor called for. When the subsequent order dated 22.01.2009 passed by the Taxation Board is analysed and scrutinised it would be clear/apparent that the Taxation Board while passing that order exceeded its jurisdiction by re appreciating the evidence on record and holding that there was no mala fide intention on the part of assessee respondent for tax evasion. Such re-appreciation of the evidence to come to a contrary finding was not available under Section 37 of the Act of 1994 while exercising the power of rectification of error apparent on the face of the records."




—: 3 :—

परिशोधन प्रार्थना-पत्र संख्या - 60/2014/अजमेर.

(सम्बन्धित अपील संख्या-1949/2011/अजमेर).

चूंकि कर बोर्ड के उक्त निर्णय में तथ्यों एवं न्यायिक निर्णय के परिप्रेक्ष्य में सुविचारित आदेश पारित किया गया है उसमें किसी तरह की Mistake Apparent on the record नहीं होने से उसको धारा 33 के तहत संशोधित कर अपास्त किये जाने के प्रार्थना पत्र को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कर बोर्ड के सुविचारित निर्णय से क्षुब्ध होने की स्थिति में कोई भी पक्षकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में अधिनियम की धारा 84 के तहत रिवीजन प्रस्तुत कर सकते हैं।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत परिशोधन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।
निर्णय सुनाया गया।


(के. एल. जैन)
सदस्य